


**FORM NO. III**

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)  
तहसीलदार मण्डावर बनाम कैन्हया

किस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 मु.न. 741/2025

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  | नम्बर व<br>तारीख<br>अहकाम जो<br>इस हुकम की<br>तामील में<br>जारी हुए |
|------------|--|---|
| 28.10.2025 | <p>यह प्रार्थना पत्र "ग्रामीण सेवा शिविर-2025" के दौरान राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत पटवारी, पटवार हल्का रायपुर ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। पटवारी हल्का रायपुर के निवेदन पर सुना गया। पटवारी हल्का ने निवेदन किया कि ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का रायपुर तहसील मण्डावर जिला दौसा की जमाबंदी संवत् 2073-76 के खाता संख्या 41, 42, 43 के खातेदार कन्हैया पुत्र मूल्या हिस्सा क्रमशः 1/8, 1/8, 1/8 जाति बैरवा सा. शहदपुर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी में प्रार्थी का निवास शहदपुर दर्ज है जबकि प्रार्थी का ग्राम टीकरीकिलानोत है। अतः ग्राम शहदपुर के स्थान पर ग्राम टीकरीकिलानोत करने की कृपा करे। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात व तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है इसलिए प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 के अन्तर्गत स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> <br/> <b>(अमित कुमार वर्मा) R.A.S</b><br/> <b>उपखण्ड अधिकारी</b><br/> <b>मण्डावर दौसा</b><br/> <b>उपखण्ड अधिकारी</b><br/> <b>मण्डावर (दौसा)</b> </p> |   |